न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 47/2021/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांकः 08.01.2021
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. कालू आत्मज रामचन्द्र जाति नायक निवासी जावटीकला, तहसील एवं जिला बून्दी
2. धनराज आत्मज कालू जाति नायक निवासी जावटीकला, तहसील एवं जिला बून्दी

.....अपीलार्थी

बनाम

1. भंवरलाल आत्मज रामचन्द्र जाति रेगर निवासी जावटीकला तहसील एवं जिला बून्दी
2. आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम जावटीकला तहसील एवं जिला बून्दी
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बून्दी तहसील एवं जिला बून्दी

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री विनय सक्सैना अभिभाषक –अपीलार्थी
श्री रमेश जैन अभिभाषक, रेस्पो0 क्र. 1
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 2 एवं 3

::निर्णय::

दिनांक 30.04.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 14/मुत./11 बउनवान कालू वगे0 बनाम भंवरलाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 12.08.2013 के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी (अपीलार्थी कालू वगे0) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के यहां अन्तर्गत धारा 22 राज0 उपनिवेशन (च0परि0) सरकारी भूमि आवंटन नियम 1957 प्रार्थना–पत्र पेश कर रेस्पो0 क्र.1 भंवरलाल, निवासी जावटींकला को किया गया भूमि आवंटन दिनांक 11.06.1999 खसरा सं0 104 रकबा 5 बीघा ग्राम जावटीकला आवंटन प्रक्रिया विधिवत न होने एवं भूमि पर अन्य का कब्जा होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.08.2013 से उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाकर वर्णित किया गया कि यदि आवंटी द्वारा आवंटन आवेदन–पत्र अथवा शपथ–पत्र या अन्य किसी दस्तावेज में गलत विवरण दर्ज कर

सभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

आवंटन करवाया जो तो ही धारा 22 के तहत आवंटन निरस्त किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में आवंटन प्रक्रिया की पूर्ण पालना नहीं करने एवं अन्य का कब्जा होने के तथ्य अंकित किये है, जिसके आधार पर प्रार्थना–पत्र श्रवणाधिकार का नहीं बनता है, अपितु धारा 17 के अनुसार राजस्व अपील प्राधिकारी के श्रवणाधिकार का होना जाहिर होता है। इस प्रकार प्रार्थना–पत्र निर्णय दिनांक 12.08.2013 से प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया।

2 अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.08.2013 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील इस न्यायालय मे पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.08.2013 वस्तुस्थिति एवं न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य हैं। आवंटन नियमों की पालना नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय को आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है और यह तथ्य भी प्रमाणित हो चुका है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। किंतु इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि कब्जा भौतिक रूप से नहीं संभलाया गया बल्कि आवंटन केवल कागजों में ही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि विवादित भूमि पर किसी भी फसल का अंकन नहीं हो रहा है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.08.2013 एवं आवंटन को निरस्त किया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि आवंटन नियमों की पालना नहीं करने पर अधीनस्थ न्यायालय को आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है और यह तथ्य भी प्रमाणित हो चुका है कि आवंटी ने शर्तों की पालना नहीं की है। विवादित भूमि पर किसी भी फसल का अंकन नहीं हो रहा है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.08.2013 एवं आवंटन को निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि रेस्पो0 क्र.1 को आवंटन के बाद भूमि पर दखल दिया गया है तथा उक्त आराजी पर काबिज हैं। आवंटन से पूर्व सिवायचक भूमि की सूची बनाई जाकर उद्घोषणा जारी की गयी है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त आवेदन–पत्रों की जांच की गई है। आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही पूर्व में इन्हीं तथ्यों के आधार पर जगदीश आत्मज खाना मीणा द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां पेश की गयी थी, जिसका निर्णय दिनांक 08.03.2001 को हो गया है तथा आवंटन बहाल रखा गया है। अब इस आवंटन के विरूद्ध दुबारा कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्धरण RRD 2018 Page No. 479, RRT 2022-23 (Supp.) Page No. 113, RRD 1995 Page No. 68, RRD 2000 Page No. 163, RRD 2017 Page No. 322, RRD 2001 Page No. 467, RRd 2000 Page No. 163 HC पेश किये।

6 हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील को अवधि मध्य माने जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर न्यायहित में अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के यहां अन्तर्गत धारा 22 राज0 उपनिवेशन (च0परि0) सरकारी भूमि आवंटन नियम 1957 प्रार्थना–पत्र पेश कर रेस्पो0 क्र. 1 भंवरलाल निवासी जावटींकला को किया गया भूमि आवंटन दिनांक 11.06.1999 खसरा सं0 104 रकबा 5 बीघा ग्राम जावटीकला आवंटन प्रक्रिया विधिवत न होने एवं भूमि पर अन्य का कब्जा होने से निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 12.08.2013 से उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी का तर्क रहा है कि रेस्पो0 क्र. 1 द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। इसके विपरित रेस्पो0 का तर्क रहा है कि अपीलार्थी के द्वारा उल्लेखित तथ्यों के आधार पर ही पूर्व में जगदीश आत्मज खाना मीणा द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील पेश की गयी थी, जिसका निर्णय दिनांक 08.03.2001 को हो गया है तथा आवंटन बहाल रखा गया है। अब इस आवंटन के विरूद्ध दुबारा कार्यवाही चलने योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि आवंटन को निरस्त

करने की कार्यवाही पूर्व में इन्हीं तथ्यों के आधार पर जगदीश आत्मज खाना मीणा द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के यहां अपील पेश की गयी थी, जिसका निर्णय दिनांक 08.03.2001 को किया जा चुका है तथा उक्त निर्णय अनुसार आवंटन बहाल रखा गया है। इसके उपरांत पुनः प्रार्थना–पत्र 14(4) अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार, बून्दी के द्वारा इसी आशय का पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा प्रकरण संख्या 264/प्रा.प./2018 निर्णय दिनांक 20.10.2020 से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अपील क्षेत्र के कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन निरस्ती हेतु कार्यवाही पेश किया जाना नियमान्तर्गत नहीं होने से प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में आवंटी भंवरलाल निवासी ग्राम जावटीकलां को मिसल सं0 13/1999 पर दिनांक 11.06.1999 को भूमि खसरा सं0 104 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम जावटीकलां का विधिवत आवंटन किया जाना प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से अपील मीमों उल्लेखित कथनों के संबंध मे ऐसे कोई तथ्य एवं साक्ष्य इस न्यायालय में पेश नहीं किये गये है, जिससे अपील मीमों में उल्लेखित कथनों की पुष्टि होती हो। साथ ही आवंटी के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 11.06.1999 के विरूद्ध पूर्व में भी राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के द्वारा प्रकरण बउनवान जगदीश बनाम भंवरलाल में दिनांक 08.03.2001 को निर्णय पारित किया जाकर आवंटन बहाल रखा गया है। लिहाजा जेरअपील निर्णय में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8 निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त,
कोटा